राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1388, 1389, 1390, 1391 एवं 1392/2017.....जिला.....अलवर.....

उनवान– मैसर्स शिल्पी केबल टेक्नोलोजीज लि0, भिवाडी बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, अलवर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राज0 वृत द्वितीय जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या लकार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.2017	खण्डपीठ श्री राजीव चौधरी, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के. जैन एवं विभाग की ओर से श्री एन.के. वैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। ये पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पृथक–प्रथृक पारित किये गये आदेशों में कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थगन प्रार्थना पत्र में विवादित मांग राशि को अस्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत पुनः स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है। विवादित मांग राशि का विवरण निम्नानुसार है :–	

अपील सं.	वित्तीय वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज
1	2	3	4	
1388/17	11–12	352404676	1301618704	224529226
1389/17	12–13	601931239	2281714398	343100806
1390/17	13–14	394751920	1579007680	177638364
1391/17	14–15	150210201	600840804	49569366
1392/17	15–16	271729278	1086917112	57063148

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उक्त प्रकरणों के तथ्यों के अनुसार अलौच्य अवधि में व्यवहारी फर्म द्वारा अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए संलग्न दस्तावेज एवं वेट 7 के विश्लेषण के उपरान्त अलौच्य अवधि में उपरोक्तानुसार बोगस खरीद पर आगत कर का लाभ लिया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा बिना माल के प्राप्त किये मात्र बिलों के माध्यम से दस्तावेजी खरीद दिखा कर गलत तरिकों से आगत कर का लाभ प्राप्त कर, कर देयता को छिपाया है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की

लगातार.....2.

24/10/17 24/10/17

अनुपस्थिति दर्ज कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

व्यवहारी के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि व्यवहारी ने क्रय–विक्रय संबंधित सभी संव्यवहारों को खाते में दर्ज कर रखा है तथा सभी त्रैमासिक व वार्षिक रिर्टन में प्रदर्शित भी किया गया है अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह आरोपण कि व्यवहारी द्वारा सम्पादित संव्यवहार बोगस व कागजी संव्यहार है, गलत है। अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण के समक्ष समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिसमें जो संव्यहवार दर्शाये गये है वह सत्य है तथा इससे असत्य साबित करने का दायित्व व्यवहारी का नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन पर अविधिक रूप से करारोपण, ब्याज व शास्ति आरोपित की गयी। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्थगत प्रार्थना पत्र को अदम हाजिरी/अदम पैरवी में अस्वीकार कर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। जिसमें कोई भी विधिक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र अनुपस्थित में खारित कर नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। अतः इस संबंध में अपीलीय अधिकारी के आदेश अविधिक है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली के विरूद्ध स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवम् अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा बोगस खरीद दर्शाया कर आगत कर का लाभ चाहा गया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अनुपस्थित में अदम हाजिरी/अदम पैरवी में आदेश पारित कर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है। किन्तु यहां अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है अतः स्थगन प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने पर प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी मे खारिज किया जाना ही स्थगन का पर्याप्त एवं यथोचित कारण नहीं हो सकता। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार बोगस खरीद पर आगत कर का लाभ चाहा गया है एवं जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगत कर को रिवर्स कर उस पर

लगातार.....3.

शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया गया है। प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना यह उल्लेखनीय है कि व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 18(2) की पालना में कर जमा होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपील संख्या 1389/17 के प्रकरण में उचन्त बिकी के संबंध में भी कोई स्पष्टिकरण भी प्रस्तुत नहीं दिया गया है। जिससे उक्त अपीलें अच्छे हेतुक की श्रेणी में नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

24/10/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

24/10/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य